क्रम-संख्या–158

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026
बैशाख 8, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–3

संख्या 794 / 77-3–2026-37(M)-2012
लखनऊ, 28 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

प0आ0–226

चूंकि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2747 / 77–3–17–37M-12 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बंध में यथासंशोधित भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (अधिनियम संख्या 8 सन् 1851) की धारा 9 के साथ पठित धारा 2 के अधीन, उत्तर प्रदेश सरकार ने ''एक्सेस कंट्रोल्ड सिक्स लेन (आठ लेन तक विस्तार योग्य) ग्रीनफील्ड 'गंगा एक्सप्रेसवे' (समूह–3)'', ''कि0मी0 289+300 (ग्राम–उबरिया खुर्द, जिला–हरदोई) से कि0मी0 445+000 (ग्राम–सरसो, जिला–उन्नाव), जिसकी डिजाइन लेंथ 155+700 कि0मी0'' के उपयोग पर फीस उद्ग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जिसे आगे प्राधिकरण कहा गया है) ने मेसर्स हरदोई उन्नाव रोड प्रा0लि0, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अडानी कारपोरेट हाउस, शांतिग्राम, एन0आर0, वैष्णो देवी सर्किल, एस0जी0 हाइवे, खोदियार, अहमदाबाद, गुजरात, भारत–382421 में स्थित है (जिसे आगे ''रियायतग्राही'' कहा गया है), गंगा एक्सप्रेसवे (समूह–3) के कि0मी0 289+300 से कि0मी0 455+000 तक के खंड (जिसे आगे ''उक्त खंड'' कहा गया है) के विकास के लिए डिजाइन निर्माण, वित्त पोषण, संचालन एवं अंतरण (डी0बी0एफ0ओ0टी0) आधार पर एक करार किया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर, उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 3 और बोली लगाने के नियत दिनांक तक के उसके पश्चातवर्ती संशोधनों के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (अधिनियम संख्या 8, सन् 1851) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त एक्सप्रेस-वे के उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन में अंतर्ग्रस्त व्यय, निवेशित पूंजी पर

ब्याज, उचित प्रतिफल, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के मध्य हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में, 50 करोड़ (पचास करोड़ रुपये) या उससे अधिक लागत वाले स्थायी पुल, इंटरचेंज, फ्लाईओवर, आर0ओ0बी0/आर0यू0बी0, बाईपास या सुरंग सहित गंगा एक्सप्रेसवे के कि0मी0 289+300 से कि0मी0 455+000 तक के विस्तार (स्ट्रेच) के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर पूर्वोक्त नियमावली में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत की जायेगी, और अग्रतर राज्यपाल उक्त रियायतग्राही को एक्सप्रेस-वे के उक्त खंड के वाणिज्यिक संचालन के दिनांक से, उक्त नियमावली और उपर्युक्त करार के उपबन्धों के अध्यधीन और उनके अनुसार, उक्त फीस को संग्रह करने और प्रतिधारण करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

इसके अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु देय और संदेय होगीः–

क्रम संख्या	टोल प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	दूरी (कि0मी0 में) जिसके लिए फीस देय है
1	329+945	47.100
2	351+300	21.355
3	378+155	26.855
4	420+932	42.777

उपर्युक्त के अतिरिक्त, स्थायी पुल, इंटरचेंज, फ्लाईओवर, आर0ओ0बी0/आर0यू0बी0, बाईपास या सुरंग (जैसा भी मामला हो) के लिए, जिसकी लागत 50 करोड़ रुपये (पचास करोड़) या उससे अधिक है, जैसा कि नीचे यथाविनिर्दिष्ट है, इसके अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस निम्नलिखित टोल प्लाजा पर देय और संदेय होगीः–

क्रम संख्या (ए)	टोल प्लाजा का स्थान (चैनेज) (बी)	संरचना का स्थान (चैनेज) (सी)	संरचानाओं की सामान्य लम्बाई (कि0मी0 में) (डी)	संरचना की लागत (करोड़ रूपये में) (ई)
1	329+945	317+923	0.240	107.497
2	378+155	337+901	0.060	52.359
3	420+932	378+155	0.110	64.735
4	445+000	420+102	0.094	51.696

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

———

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 794 /LXXVII-3–2026-37(M)-2012 dated April 28 , 2026:

No. 794 /LXXVII-3–2026-37(M)-2012

Dated Lucknow, April 28, 2026

WHEREAS, *vide* notification no. 2747/LXXVII-3-17-37M-12 dated December 15, 2017 issued by the Government of Uttar Pradesh, under section 2 *read* with Section 9 of the Indian Tolls Act, 1851 (Act no.8 of 1851), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, the Government of Uttar Pradesh has authorized the levy of fee on use of the "Access Controlled Six Lane (Expandable to Eight Lane) Greenfield 'Ganga Expressway' (Group-III), "From Km. 289+300, (Village-Ubariya Khurd, District-Hardoi) to Km. 445+000 (Village-Sarso, District-Unnao) Design length 155.700 Km.";

AND, WHEREAS, the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (hereinafter referred to as the ''Authority'') has entered into an agreement with M/s Hardoi Unnao Road Pvt. Ltd., having its Registered Office at Adani Corporate House, Shantigram, NR., Vaishno Devi Circle, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad, Gujarat, India- 382421 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for the development of the Ganga Expressway (Group-III) Section from Km. 289+300 to Km. 445+000

(hereinafter referred to as the "said Section") on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 2 of the Indian Tolls Act, 1851 (Act no. 8 of 1851) , as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, *read* with Rule 3 of the Uttar Pradesh Expressway (Levy of Tolls and fixing of Fees and Realisation Thereof) (Fourth Amendment) Rules, 2017 and its subsequent amendments up to the bid due date, the Governor, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of the said Expressway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, is pleased to notify that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the stretch from Km. 289+300 to Km. 445+000 of Ganga Expressway, including the permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel costing Rs. 50 crores (fifty crores) or more, in the State of Uttar Pradesh at the rates specified in the aforesaid rules; and the Governor is further pleased to authorize the said Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation of the said section of Expressway, subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the aforesaid agreement.

The fee levied and collected here under shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza:–

Sl. no.	Location of Toll Plaza (Chainage)	Length (in Km.) for which Fee is payable
1	329+945	47.100
2	351+300	21.355
3	378+155	26.855
4	420+932	42.777

In addition to the above, the fee levied and collected hereunder for the permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel, as the case may be, costing Rs. 50 crores (fifty crores) or more as specified below shall be due and payable at the following Toll Plaza:–

Sl. no. (A)	Location of Toll Plaza (B)	Location of Structure (C)	Normal Length of the structures (in km.) (D)	Cost of Structure (Rs. In Crores) (E)
1	329+945	317+923	0.240	107.497
2	378+155	337+901	0.060	52.359
3	420+932	378+155	0.110	64.735
4	445+000	420+102	0.094	51.696

By order,
ALOK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 88 राजपत्र–2026–(189)–599+50 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।